

रामुराम बनाम लिछमणराम वगैराह
दावा क्रमांक 269/2022
जीसीएमएस क्रमांक 2022/494

-- : आदेश :-

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर
द्वी निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी रामुराम के मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नम्बर 143 रकबा 4.6539 हैक्टेयर
की खातेदारी मौके पर काबिज काश्त व माफिक नजरी नक्शानुसार घोषित कि
जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 लिछमणराम के मौजा कमेड़िया का खेत खसरा नम्बर 505/143
रकबा 2.3310 हैक्टेयर की खातेदारी मौके पर काबिज काश्त व माफिक नजरी
नक्शानुसार घोषित कि जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
फिक वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा डिक्री आदेश का भाग रहेगा।



निर्णय आज दिनांक 16/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर
दुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आम्रकान्त वर्मा)
सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

(आम्रकान्त वर्मा)
सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल